भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/2024-25/124
सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं. S1003/42-01-029/2024-2025 17 मार्च 2025

सभी एजेंसी बैंक

महोदया / महोदय,

सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेन-देन – चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए विशेष उपाय

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों का लेखांकन इसी वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए।

तदनुसार, 31 मार्च 2025 के लिए सरकारी लेनदेन की रिपोर्टिंग और लेखा-जोखा रखने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:

(क) सभी एजेंसी बैंकों को सरकारी प्राप्ति और भुगतान करने वाली अपनी सभी शाखाओं को सरकारी लेनदेन से संबंधित काउंटर पर लेनदेन के लिए 31 मार्च 2025 को सामान्य कार्य समय तक खुला रखना चाहिए।

(ख) 31 मार्च 2025 को सरकारी चेकों के संग्रहण के लिए विशेष समाशोधन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), आरबीआई आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(ग) जीएसटी/टिन 2.0/आईसीईगेट/राज्य ई-प्राप्तियाँ लगेज फाइलों को अपलोड करने सहित आरबीआई को केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में, 31 मार्च 2025 की रिपोर्टिंग विंडो को 1 अप्रैल 2025 को दोपहर 1200 बजे तक खुला रखा जाएगा।

2. एजेंसी बैंक उपरोक्तानुसार की गई विशेष व्यवस्थाओं को नोट करें और उनका पर्याप्त प्रचार करें।

भवदीय

(इंद्रनील चक्रबर्ती)
मुख्य महाप्रबंधक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई -400 008
Department of Government and Bank Accounts, Central Office, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai - 400 008
Telephone: (022) 2308 4121, Fax No. (022) 2300 0370/2301 6072/2301 0095, e-mail: cgmicdgbaco@rbi.org.in

हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।